रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I— खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 1968/वैशाख 18, 1890
No. 84] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 1968/VAISAKHA 18, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

**(Department of Rehabilitation)**

**RESOLUTION**

*New Delhi, the 6th May 1968*

**No. 13(3)/68-COR.**—The Government of India have decided that Shri B. B. Mondal, I.A.S., Refugee Relief and Rehabilitation Commissioner, West Bengal and ex-officio Secretary, Refugee Relief and Rehabilitation Department of the Government of West Bengal would act as a Member in place of Shri M. C. Mukherjee, Former Secretary, Refugee Relief and Rehabilitation Department, Government of West Bengal, with effect from the afternoon of the 12th March, 1968, in the Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal set up in terms of Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 5(21)/66-RE, dated the 6th January, 1967, as amended by the Ministry of Labour, Employment and

Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolutions No. 1(1)/67-COR., dated the 5th and 9th April, 1967, No. 13/15/67-COR, dated the 20th June, 1967 and No. 14(1)/68-COR, dated the 24th January, 1968.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to :—

(1) The Members of the Committee.

(2) The Ministries/Departments of the Government of India.

(3) The Planning Commission, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, and the Private and Military Secretaries to the President.

(4) The Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories.

Ordered also that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. NANJAPPA, Secy.

---

## श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

## (पुनर्वास विभाग)

### संकल्प

नई दिल्ली, 6 मई, 1968

**संख्या 13(3)/68—सी० ओ० आर०**—भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की जो समीक्षा समिति भारत सरकार के श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 5(21)/66—आर० ई० दिनांक 6 जनवरी, 1967 द्वारा स्थापित की गई थी और जिसमें श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 1(1)/67—सी० ओ० आर० दिनांक 5 और 9 अप्रैल, 1967, संकल्प संख्या 13/15/67 सी० ओ० आर० दिनांक 20 जून, 1967 और संकल्प संख्या 14(1)/68—सी० ओ० आर० दिनांक 24 जनवरी 1968 द्वारा संशोधन किया गया था उसमें श्री एम० सी० मुखर्जी भूतपूर्व सचिव, शरणार्थी सहायता और पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के स्थान पर श्री बी० बी० मंडल, आई० ए० एस०, शरणार्थी सहायता और पुनर्वास आयुक्त, पश्चिम बंगाल तथा पदेन सचिव, शरणार्थी सहायता पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार 12 मार्च, 1968 के अपराह्न से समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेज दी जाए :—

(1) समिति के सदस्य

(2) भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग

(3) योजना आयोग, प्रधान मंत्री का सचिवालय, मंत्रि-मंडल का सचिवालय तथा राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव।

(4) राज्य सरकारों/संघ प्रशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए ।

वि० नन्जप्पा, सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968